उत्तरांचल सरकार
वित्त एवं व्यापार कर अनुभाग
संख्या– 69–सी / वि. व्या. कर / 2001
देहरादून, दिनांकः 13 सितम्बर, 2001

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम 2000, (अधिनियम 29 आफ 2000) की धारा–87 सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा–21 के साथ पठित केन्द्रीय विकय कर अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) के अधीन अधिकार का प्रयोग करके समय–समय पर तथा संशोधित सरकारी विज्ञप्ति संख्या व्या0 क0–2–781– / ग्यारह–9(226) / 94–अधि0–74–56–आदेश–95, दिनांक 31 मार्च, 1995, संख्या–व्या0 क0–2–1712 / ग्यारह–9(460) / 94–अधि0 74–56–आदेश–96, दिनांक 19 जुलाई, 1996, संख्या–व्या0 क0–2–641 / ग्यारह–9(460) / 94अधि0 74–56–आदेश–97, दिनांक 21 फरवरी, 1997 और संख्या– क0 स0 वि0–2–979 / ग्यारह–9(152) / 96–अधि0–74–56–आदेश–98, दिनांक 21 अप्रैल, 1998 का आंशिक उपांतर करके तथा जारी विज्ञप्ति संख्या क0नि0–2–112 / ग्यारह–9 (116) / 94उ0प्र0अधि0–48–आदेश–2000 दिनांक 15 जनवरी, 2000 को अतिक्रमित करते हुये राज्यपाल निर्देश देते हैं कि दिनांक 17 जनवरी, 2000 को या उसके पश्चात उत्पादन प्रारम्भ कर रही उत्तरांचल में स्थित इकाईयों को, उन इकाईयों के सिवाय जो उक्त दिनांक को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हैं, माल की बिक्री पर कर से छूट या कर की दर में कमी अनुमन्य नहीं होगी :–

(क) इकाई सन् 1956 के उक्त ऐक्ट के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं।

(ख) इकाई ने किसी बैंक या केन्द्रीय या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्राधीन किसी वित्तीय निगम या कम्पनी के सावधि ऋण के लिए आवेदन किया गया हो या वित्तीय व्यवस्था किसी व्यक्तिगत संस्थान अथवा स्वयं के श्रोतों से कर ली है।

(ग) इकाई 31 मार्च, 2000 तक उत्पादन प्रारम्भ कर देगीय और

(घ) इकाई को कारखाना के लिए भूमि का आवंटन कर दिया गया है या उसके द्वारा भूमि की व्यवस्था स्वयं कर ली गई है।

(इन्दु कुमार पान्डे)
वित्त सचिव